# FORM NO. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा मुकाम

आम जनता डिडवाना जरिये रामफूल बनाम ललल्लू प्रसाद वगैरा

किस्म मुकदमा निगरानी ग्राम पंचायत 22 सन् 2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17-7-18 | अधिवक्ता फरीकैन उपस्थित। दिनांक 26-6-18 को गैर निगरानीकार सं० ललल्लू प्रसाद महावर पुत्र गेंदालाल महावर निवासी डीडवाना तहसील लालसोट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार गैर निगरानीकार सं० ललल्लू प्रसाद महावर द्वारा निवेदन किया गया है कि पट्टा सं 35 दिनांक 6-10-2009 की भूमि रास्ते की भूमि है तथा गाँव की जनता उक्त पट्टा भूमि का उपयोग आवागमन हेतु रास्ता के लिये करती आ रही है। पट्टाशुदा भूमि पर किसी प्रकार का भवन निर्माण नहीं है। उक्त पट्टा नं 35 दिनांक 9-10-2009 को निरस्त किया जावे।<br>गैर निगरानीकार सं० द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत पट्टा नं 35 दिनांक 9-10-2009 को निरस्त करने का अनुरोध करने पर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नगत पट्टा नं 35 दिनांक 9-10-2009 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसलशुदा शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल लेखागार हो। निर्णय आज दिनांक 17-7-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>(हस्ताक्षर)<br>अति० जिला कलक्टर<br>दौसा | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official